

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 233/2026**

IN THE MATTER OF:

SANDEEP NAGAR

APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

RESPONDENT(S)

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Reply On Behalf of R3-District Magistrate Meerut, State of Uttar Pradesh along with supporting Affidavit.	1-7
2.	ANNEXURE P/1: - True copy of Letter dated 14.05.2026 and 15.05.2026.	8-10
3.	ANNEXURE P/2: - True copy of the documents of all the e-auction conducted for the additional silt/soil.	11-55
4.	ANNEXURE P/3: - True copies of the photographs of the inspection conducted, with Applicant being present.	56-58

Date:26/05/2026

THROUGH

Place: New Delhi



**Priyanka swami
Advocate**

**Standing Counsel for the State of U.P.
F-13, Jangpura, New Delhi 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com**



ATTESTED

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 233/2026

NOTARY PUBLIC
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No. -
50269/2025
GOVT. OF INDIA
APPLICANT

IN THE MATTER OF:

SANDEEP NAGAR

VERSUS

RESPONDENT(S)

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT, STATE
OF UTTAR PRADESH ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr. Vijay Kumar Singh, S/o Late Shri Parmanand Singh, aged about 54 years,
presently posted as District Magistrate Meerut, Uttar Pradesh, do hereby
solemnly affirm and state as under

1. That I am posted as above and I am well conversant with the facts and
circumstances of the present case and am competent to swear the
present affidavit.
2. That the accompanying compliance affidavit has been drafted by the
counsel on my instructions. The contents of the present affidavit are true
and correct and are derived from the official records and no material fact
has been concealed therefrom.
3. That the present reply is being filed on behalf of the District
Magistrate, Meerut, State of Uttar Pradesh, in compliance with the

NOTARY PUBLIC
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No. -
50269/2025
GOVT. OF INDIA

SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No. -
50269/2025
GOVT. OF INDIA

[Handwritten signature]

Order dated 24.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal where by the following was directed;

"13. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P., Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Meerut, District Magistrate, Muzaffarnagar and District Magistrate, Bulandshahar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

14. The Member Secretary, UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities."


4. That in compliance with the above-said order, vide letter no. 7150/OSD-Camp/2026 dated 14.05.2026 of the by the answering Respondent, a committee was constituted for conducting on-site inspection, also as per the letter no. 534/Area Pollution Control



Officer/NGT Case/2026/ dated 15.05.2026 received from the Additional District Magistrate (Administration)/Nodal Officer, Meerut the same was communicated. **True copy of Letter dated 14.05.2026 and 15.05.2026 are attached herewith and annexed as Annexure P/1.**

5. That the committee constituted conducted a site inspection of the Anupshahr branch originating from the left bank 81.118 Km of Upper Ganga Canal in village Joli, district Muzaffarnagar, between 22.930 Km and 65.570 Km on 18.05.2026. The Executive Engineer, Anupshahr Branch Section, Ganga Canal Meerut informed that under the approved project of capacity restoration and repair of concrete structures from 0.000 Km to 131.940 Km of Anupshahr Branch Canal, the silt cleaning work in the inner section of the canal of the same has been completed in the entire length in the month of November-December 2025.

6. That during the work, the silt removed from the canal was disposed of on the right and left banks of the canal and after constructing a *dola* on the left bank of the canal from the removed silt and repairing the damaged banks of the canal, the auction of the excess silt is being carried out through a committee constituted under the chairmanship of Additional District Magistrate (V.R.) District Meerut



[Handwritten signature]

nominated by the answering Respondent through Government Order No. 12/2020/2496/86-2019-46 (General)/2019 Geology and Mining Section Lucknow dated 31.12.2019. For which tenders were invited through e-auction five times, but till now no tender has been received in this auction and presently the process of inviting tenders for e-auction is in progress. **True copy of the documents of all the e-auction conducted for the additional silt/soil are attached herewith and marked as Annexure P/2.**

7. That it also further submitted that the photographs attached by the Applicant are photographs taken during the work, the site of which is village Kudi Kamalpur, Tehsil Mawana, District Meerut, 38.800 Km of Anupshahr Branch Canal. At that time the Construction of *Dola* on the canal service road from the silt removed during the work and restoration of the damaged internal banks was yet to be completed but and as of now, the construction of the levee on the canal service road and the restoration of the damaged internal banks have been completed, and the excess silt has been properly disposed of and the problem of vehicular traffic and dust have been resolved.

8. That during the inspection conducted by the committee on 18.05.2026 between 22.930 Km and 65.570 Km of the Anupshahr Branch Canal in Meerut district, it was found that the dredged silt



7


had formed a full-length sluice on the canal service road on the left bank. Now the excess silt had been properly disposed of on the right and left banks of the canal, and the auction process for the same is underway. The excess silt lying on the right and left banks, used in the construction of the sluice, has naturally grown vegetation, causing the silt to solidify and the vehicles and public traffic are moving smoothly in the said sluice. No air pollution from silt was observed at any site with the Applicant being present at the site during the inspection. **True copies of the photographs of the inspection conducted with Applicant being present, are attached herewith and marked as Annexure P/3.**

9. That the applicant was informed that during the execution of the work, the Irrigation Department had dumped excessive amount of silt. The silt deposited on the canal bank has been used by the same to construct a channel on the service road, thereby to properly dispose of the excess silt, and to eliminate the problem of vehicular traffic and dust.

10. That as per above, during the inspection no such situation was found to exist between 22.930 Km to 65.570 Km of the reach of Anupshahar branch canal, which currently falls in the limits of Meerut district.



11. That the present Reply is being filed bona fide for placing the latest factual status before this Hon'ble Tribunal and for demonstrating substantial compliance undertaken by the answering Respondent.
12. That the answering Respondent undertakes to continue filing further progress reports before this Hon'ble Tribunal as and when substantial developments take place in the ongoing survey and hydrological modelling process.
13. That the facts stated hereinabove are based upon official records, documents available in the office, and the same are being respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal for appropriate consideration and further necessary orders as may be deemed fit in the interest of justice and environmental compliance.




DEPONENT

VERIFICATION:

NOTARY

Verified at M. K. B. V. T. on this 26..... day of May, 2026 that the contents of the above affidavit are correct to my knowledge as derived from the official record available in my office and believed



to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Date
26.05.2026

[Signature]
DEPONENT

Through Counsel
District Magistrate
Meerut, Uttar Pradesh

Serial No. *06* / *01*
Date *26/05/2026*
Registration No. 50269/2025
Chamber No.-1, Jain Milan Pyan
Chonia, Colliery, Meerut - 250001



Dr. Vijay Kumar Singh
Principal Secretary
District Government
26 Month *05* Year *26*

[Signature]
26/05/2026



ANNEXURE P/1 (Colly)

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MEERUT.

पत्रांक 7150 / ओ0एस0डी0-कैम्प / 2026

दिनांक 14-05-2026

कार्यालय आदेश

परामर्शदाता (न्यायिक), राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली- 110001 द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एन0जी0टी 0(पीबी)/जूडिशियल/ओ0ए0/233/2026/1045-1050 दिनांक 7-5-2026 द्वारा मूल आवेदन 233/2026 संदीप नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 24-4-2026 को पारित आदेश की प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-4-2026 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी-प्रशासन, मेरठ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

28/05/2026 को 29 प्र. न. ए. के प्र. न. ए.
गाना

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अपर जिलाधिकारी-प्रशासन मेरठ को अनुपालनार्थ।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

ST

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

15/5/16

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
दि0 28-5-26 से पूर्व अनुपालन आख्या
मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है
तत्काल/आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या: 534 /क्ष0प्रदू0अधि0/एन0जी0टी0प्रकरण/2026

दिनांक 15-05-2026

कार्यालय आदेश

- 1- उप जिलाधिकारी, गवाना।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंग नहर मेरठ।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 7150/ओएसडी कैम्प/2026 दिनांक 14-05-2026 के साथ परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, फरीदकोट हाऊस कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एन0जी0टी0 (पी0बी0)/जूडिशियल/ओ0ए0/233/2026/1045-1050 दिनांक 07-05-2026 द्वारा मूल आवेदन 233/2026 संदीप नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 24-04-2026 को पारित आदेश की प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-04-2026 के अनुपालन में उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन आख्या दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में प्रेषित करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 233/2026 संदीप नागर बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में दिनांक 24-04-2026 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..... 2. The Applicant has raised grievances regarding huge quantity of silt being deposited on the side of road while desilting of the 120km long Ganga Canal travelling from village Jolly of JanpadMujaffarnagar to Aupshahr of JanpadBulandshahr, AnupshahrShakha by khand Meerut, in violation of environmental norms thereby causing damage to environment due to dust pollution and serious health hazard to local residents and posing inconvenience in movement of vehicles.

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में शिकायती स्थल का निरीक्षण करने, शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की तथ्यात्मक जाँच एवं वास्तविक स्थिति का सत्यापन करते हुए यथोचित उपचारात्मक कार्यवाही से अवगत कराते हुए, कार्यवाही की आख्या 05 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपालन आख्या मा0अधिकरण के समक्ष ससमय प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

15/05/2026
(सत्य प्रकाश सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/

नोडल अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में तथ्यात्मक जांच एवं वास्तविक स्थिति की आख्या प्राप्त कर मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 28-05-2026 से पूर्व दाखिल कराने का कष्ट करें।

15/05/2026
(सत्य प्रकाश सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/

नोडल अधिकारी, मेरठ।



मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
दि0 28-5-26 से पूर्व अनुपालन आख्या
मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है
तत्काल/आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ।

संख्या: 533 / एसटी ई / एन0जी0टी0 प्रकरण / 2026


दिनांक 15-05-2026

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 7150/ओएसडी कैम्प /2026 दिनांक 14-05-2026 जो कि अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत परामर्शदाता (न्यायिक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, फरीदकोट हाऊस कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एन0जी0टी0 (पी0बी0)/जूडिशियल/ओ0ए0/233/2026/1045-1050 दिनांक 07-05-2026 द्वारा मूल आवेदन 233/2026 संदीप नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 24-04-2026 को पारित आदेश की प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गयी है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-04-2026 के अनुपालन में उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन आख्या दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में प्रेषित करवाने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि उपरोक्त प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिनांक 28-05-2026 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


15/05/2026
(सत्य प्रकाश सिंह)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


15/05/2026
(सत्य प्रकाश सिंह)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मेरठ।

जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य उपलब्ध अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी प्रक्रिया निम्नानुसार है।

जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको, पटरी दायी व पटरी बायी पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सिल्ट/मिट्टी के दर निर्धारण हेतु कार्यवृत्त दिनांक 29.01.2026 (संलग्नक-02) को जारी किया गया। कार्यवृत्त अनुसार अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-11/ई०ई०/2025-26 (संलग्नक-03) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर पड़ी सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 06.02.2026 को हुआ (संलग्नक-04)। उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	29-01-2026	14-02-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-05

उक्त अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त ई-नीलामी में निविदा प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त दो बार (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है।

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

क्र०सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	16-02-2026	24-02-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-06 व 07

द्वितीय अवसर पर (Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

क्र०सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1	27-02-2026	06-03-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-08 व 09

उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या के अन्तर्गत कुल तीन अवसरों पर शून्य निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत उक्त सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46 (सामान्य) 2019 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत रींच को पृथक-पृथक तीन भागों में बाटकर एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या आमंत्रित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया (संलग्नक-10)।

उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-11/ई०ई०/2025-26 को निरस्त किया गया (संलग्नक-11), एवं एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर

मेरठ

98

सूचना सं०-15/ ई०ई०/2025-26 के अन्तर्गत तीन लॉट्स में ई-निविदा आमंत्रित की गई, (संलग्नक-12) जिसकी प्रेस विज्ञापित का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 30.03.2026 को हुआ (संलग्नक-13)। उक्त ई-नीलामी में प्राप्त ई-निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

लॉट सं०	विवरण	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति संलग्नक-14
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 38.800 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-14
2	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 38.800 से कि०मी० 50.000 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-02-शून्य	संलग्नक-15
3	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 50.000 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	23-03-2026	09-04-2026	लॉट सं०-03-शून्य	संलग्नक-16

उक्त अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त ई-नीलामी में निविदा प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त एक बार (Retender) पुनः ई-निविदा आमंत्रित की गई, (संलग्नक-17) जिसमें भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है।

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा का विवरण।

लॉट सं०	निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	प्राप्त निविदाओं की संख्या	अभ्युक्ति संलग्नक-18 व 19
1	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19
2	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19
3	09-04-2026	17-04-2026	लॉट सं०-01-शून्य	संलग्नक-18 व 19

(Retender) पुनः आमंत्रित की गई ऑनलाईन ई-निविदा के सापेक्ष कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई।

नवीन शासनादेश संख्या-1/1227112/2026 (177187) भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04.02.2026 (संलग्नक-20) द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन कर, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार खनिजों की दरों को संशोधित कर दिया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में उपखनिज की दरों में संशोधन होने के कारण शासनादेश संख्या-12/2020/2496/86-2019-46(सामान्य)/2019 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31.12.2019 (संलग्नक-01) के आलोक में जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा नामित अपरजिलाधिकारी (वि.रा.) जनपद मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्व आमंत्रित अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं०-15/ई०ई०/2025-26 को निरस्त करने एवं साथ ही सिल्ट/मिट्टी के त्वरित नीलामी/निस्तारण हेतु संशोधित दर के अनुसार एक नवीन अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या के अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्यवाही प्रगति में है।


(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

संख्या-12/2020/2496 /86-2019-46(सागान्य)/2019

प्रेषक,

डा० रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतन्त्र एवं खनिकर्म,
उ०प्र०, लखनऊ।

भूतन्त्र एवं खनिकर्म अनुभाग

विषय:-परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1427/एम-प्रवर्तन जालौन/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में मेसर्स युड स्पिन टेक्सटाइल इण्डिया प्रा० लि० द्वारा जनपद में टेक्सटाइल की औद्योगिक परियोजना की स्थापना के दौरान खुदाई से निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार कर अद्यतन कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| (1) जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए०डी०एम० स्तर से कम न हो। | अध्यक्ष |
| (2) प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (3) परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |
| (4) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| (5) सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक | सदस्य |

3. उक्त समिति द्वारा उपखनिज की गुणवत्ता के अनुसार उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, तदुपरान्त उसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० के माध्यम से ई-निविदा द्वारा निस्तारित कराने की कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य यथास्थिति नियमानुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति के अधीन किया जायेगा।

भवदीय,
(डा० रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-2496(1)/86-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्स्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या-1860/अमुस/१०६०५०/2019, दिनांक 18.12.2019 के सन्दर्भ में।

भवदीय,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasnadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।

महोदय,

सूचनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर के बाएं बैंक के कि०मी० 81.118 से अनूपशहर शाखा नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 131.940 कि०मी० है। उक्त नहर के संचालन, कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने, मरम्मत आदि का कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा किया जाता है। उक्त नहर के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर के कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। अनूपशहर शाखा नहर जनपद मेरठ में कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक (कुल 39.820 कि०मी०) पड़ती है, जिसमें मुख्यतः ग्राम भुम्मा, बटावली, अकबरपुर, झुनझुनी, मवाना, ठिकौली, कुडीकमालपुर, नासरपुर, सटला, पुठठी, परीक्षितगढ, बडला, कैली रामपुर, राधना एवं ईशापुर आदि ग्राम पडते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार से अनुमोदित "अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 131.940 तक क्षमता पुर्नस्थापना एवं पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना" के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर की पूर्ण लम्बाई में नहर के आन्तरिक अनुभाग में सिल्ट सफाई का कार्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुबन्ध गठित किया गया है एवं परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद मेरठ में नहर की कुल लम्बाई 39.820 कि०मी० के आन्तरिक अनुभाग में सफाई उपरान्त लगभग 4.52 लाख घनमीटर सिल्ट/मृदा एकत्र हुयी है, जिसका उपयोग नहर के सैक्शन को ठीक करने, डोला बनाने/बैंकों की मरम्मत आदि में किया जाना है। नहर के सैक्शन को ठीक करने के उपरान्त लगभग 1.02 लाख घनमीटर अतिरिक्त सिल्ट/मृदा शेष बच जाने का अनुमान है, जो बांयी पट्टी पर लगभग 0.40 लाख घनमीटर एवं दांयी पट्टी पर लगभग 0.62 लाख घनमीटर होगी। उक्त सिल्ट/मृदा की नियमानुसार नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2111/14-27-सिं०-4-78(डब्लू)/14, दिनांक 16.10.2014 (संलग्नक-1) के अनुसार नहरों में जमा सिल्ट/मृदा आदि की निकासी कर, जल संरचनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने हेतु प्रक्रिया निदान किया गया है, जिसके अनुसार सिल्ट/मृदा का सर्वेक्षण कर, चिन्हित कर, मात्रा एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग की संस्तुति के आधार पर खनन विभाग द्वारा लाईसेंस एवं परिवहन हेतु वांछित प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। अधिकृत ठेकेदार एवं एजेंसी द्वारा आंकलित सिल्ट की मात्रा के आधार पर रायल्टी जमा करने के उपरान्त उसका नियमानुसार निष्पादन करने का अधिकार होगा।

विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र सं० 12/2020/296/86-2019-46(सामान्य)/2019, दिनांक 31-12-2019 (संलग्नक-2) में दिये गये प्राविधानुसार किसी परियोजना की स्थापना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत खुदाई के दौरान निकले उपखनिजों के निस्तारण के सम्बन्ध में के क्रम में उक्त सिल्ट की नीलामी हेतु आपके स्तर से समिति गठित की जानी है। उक्त पत्र के अनुसार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार नामित किये गये हैं-

1	जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो ए०डी०एम० स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
2	प्रभारी वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	परियोजना से सम्बन्धित विभाग का अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
4	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षण	सदस्य

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना चाहे।

अधिशासी अभियन्ता,
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

ADM (PIR)
रक्षित।

Photo Copy Attached
05/12/2015
सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ।

वैकल्प कार्यालय, जिलाधिकारी, मेरठ
पत्र संख्या 3/12
हस्ताक्षरों परांत पं०/पत्रावली
वापसी का दिनांक 5/12

(2)

कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के निर्देशानुसार अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड के नियंत्रणाधीन प्रथम एवं द्वितीय उपखण्ड मेरठ के कार्यक्षेत्र में अनूपशहर शाखा नहर के आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की परियोजना के कार्य से प्राप्त सिल्ट/मृदा का डिस्पोजल व ड्रेसिंग के पश्चात शेष सिल्ट/मृदा (उपखनिज) की नीलामी/निस्तारण हेतु एक बैठक अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2026 समय 4.00 बजे (अपराह्न) उनके कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

11. अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मेरठ।
12. प्रभागीय निदेशक वन विभाग, मेरठ द्वारा नामित अधिकारी।
13. अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड।
14. उप जिलाधिकारी मवाना, मेरठ।
15. खान अधिकारी, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा कार्यालय पत्रांक 3717/अशाख/सिल्ट नीलामी/दिनांक 05.12.2025 के क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मृदा परीक्षण कराकर रिपोर्ट पत्रांक 918/अ0मु0वि0 अलीगढ़/सीईडी दिनांक 31.12.2025 से उपलब्ध करायी गयी। परीक्षण के दौरान विभिन्न चैनलों पर मृदा में बालू (Sand) की मात्रा अलग-अलग पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	अनूपशहर शाखा के चैनेज	बालू (Sand) की मात्रा (प्रतिशत में)	शेष (प्रतिशत में)
1	50.300	68.5 %	31.5 %
2	61.400	68 %	32 %
	औसत	68.25 %	31.75 %

उपरोक्तानुसार प्राप्त उपखनिज में औसतन 68.25 प्रतिशत बालू (Sand) की मात्रा एवं 31.75 प्रतिशत सिल्ट (Silt) अंकलित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड द्वारा संलग्न पत्र 3717/अशाख/दिनांक 05.12.2025 के अनुसार लगभग 102000.00 घन मी0 अंकलित की गयी है। उपरोक्त Samples की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम दर रू0 65.00 प्रति घन मी0 अंकलित/निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर नियमानुसार ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी की जायेगी।

Alina
29/01/2026
खान अधिकारी
मेरठ।

Am
29.1.26
उप जिलाधिकारी
मवाना (मेरठ)।

MV
29.1.2026
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ/हापुड

PO
29/1/2026
क्षेत्रीय वनाधिकारी, मेरठ
प्रतिनिधि प्रभागीय निदेशक
मेरठ।

W
29/1/26
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
मेरठ।

Photo Copy Attested

W

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

102
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक: 300/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक: -02.02.2026

:-कार्यालय ज्ञाप:-

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है, जिसके कार्य के विवरण/चैनेज में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र०सं०	कार्य का विवरण
01	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।

शेष शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक: -02.02.2026

पत्रांक : 300/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
- 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
- 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
- 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
- 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
- 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
- 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
- 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप स०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
- 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
- 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय,
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 11/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।

महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 11/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मेरठ तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा वांछित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmri@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना इन्ही दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-29.01.2026

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह) 29.1.2026
अधिशाली अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।
दिनांक:-29.01.2026

पत्रांक :-263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मयाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय यनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मयाना/परीक्षितगढ/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशाली अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय झाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

Photo Copy Attested

(R)

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के यलाज में अंकि न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आंकलित कुल रायल्टी (रु० में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु० में।)	जनपद का नाम
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00	मेरठ

नियम व शर्तें:-

- उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगी, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
- नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाये/उठये जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगा।
- सिल्ट/मिट्टी उठाये जाने हेतु रायल्टी की दर रु० 65.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
- जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखयी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(मनमोहन सिंह) 29.1.2025

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठये जाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उठया जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं 02 प्रतिशत स्टम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अघोहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मेरठ को देय होगी/जमा करनी होगा।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उठाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उठाने की कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठते समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मॉटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उठयी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है। ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उठाने कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उठाने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उठई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) 102000.00 के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग डोला बनाने हेतु किया जाना है। 102000.00 घन मीटर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठया जायेगा।
24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
25. नीलामी के माध्यम से उठई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।

(मनमोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

(4)

मेरठ, 6 फरवरी, 2026 दैनिक जागरण

योजना के आवेदनों को निरस्त कर रहे बैंक, कार्रवाई होगी

मेरठ : देने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बैंक विकास आफ बडौदा में 336 आवेदनों में से 131 आवेदन पर प्रदान किया गया और 227 आवेदन को निरस्त कर दिया गया। बैंक आफ इण्डिया में 76 आवेदन में से 40 आवेदन स्वीकृत किए गए 36 को निरस्त कर दिया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 में से 12 आवेदन निरस्त कर दिए। केनरा बैंक में 598 आवेदन में से 213 को स्वीकृत किया गया और 394 को निरस्त कर दिया। इण्डियन बैंक की शाखाओं में 231 में से 151

आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए। पंजाब नेशनल बैंक ने 854 में से 555 आवेदनों को निरस्त कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने 790 में से 567 आवेदन निरस्त कर दिए। डीएम ने सरकार को रिपोर्ट भेजने तथा बैंकों के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की। संस्तुति करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने केनरा बैंक को 200, बैंक आफ बडौदा को 100,

भारतीय स्टेट बैंक को 300, पंजाब नेशनल बैंक को 300 आवेदनों एक सप्ताह में ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया। सीडीओ नूपुर गोयल, उप आयुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार अजमेरा क्षेत्रीय प्रबन्धक, मीतू डाका जिला समन्वयक रोजन 2, राकेश कंसल मुख् प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, आरके खन्ना अग्रणी बैंक प्रबन्धक मौजूद रहे।

अभियन्ता

नहर, मेरठ।

संख्या-10/ई0ई0/2025-2026

2019/718/19-27-सि0 (डब्लू) / 2019 को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को अ0शा0प0-1026/अनु0एच0पु0/अनिम0-5/मिनिम/सि0न0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्योन्मुख जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो अद्योहरताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा परान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड करनी होगी तथा पूर्व निविदा प्रपत्र के बलाज में अंकित न्यूनतम

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा पूर्व निविदा प्रपत्र के बलाज में अंकित न्यूनतम

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्पादित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एच0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु0 में।)
1	मेरठ	जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00

65.00	1765000.00	176500.00
-------	------------	-----------

(मनमोहन सिंह)
अधिशारी अभियन्ता
अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।
www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

अभियन्ता

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता

अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन अभाव/ई-नीलामी सूचना संख्या-10/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-113/2019/718/19-27-सि0 (डब्लू) / 2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुपशहर एवं मूलगंजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को अ0शा0प0-1026/अनु0एच0पु0/अनिम0-5/मिनिम/सि0न0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्योन्मुख जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो अद्योहरताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 14.02.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा पूर्व निविदा प्रपत्र के बलाज में अंकित न्यूनतम-अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर ले।

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्पादित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एच0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु0 में।)
1	मेरठ	जनपद मेरठ में अनुपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 62.750 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	102000.00	65.00	6630000.00	663000.00

(मनमोहन सिंह)
अधिशारी अभियन्ता
अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।
www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

UP-245258 दिनांक 04.02.2026 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक- 31.01.2026

पत्रांक:- 305/79

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

महाराष्ट्र राज्यापाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु अनलाइन निविदायें http://etender.up.gov.nic.in के माध्यम से आर्गनाइज्ड रजिस्टर्ड फर्म से दिनांक 07.02.2026 से दिनांक 13.02.2026 तक दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की मिति दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे अद्योहरताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित गठित समिति के समक्ष अनलाइन खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपरान्ह 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ



Uttar Pradesh Tenders



Welcome : sonkasing07@gmail.com
Last login : 16-Feb-2026 07:49 PM

Server Time : 16-Feb-2026 20:17:28

Home Logout

Procurement System Government of Uttar Pradesh

BID OPENING



Bid Opening → Bid Openers

- Master Management
- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts
- Tender Management
- Create Tender / Tender List

- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders
- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification
- Corrigendum
- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum
- Bid Opening
- Tenders to be Opened
- Bid Evaluation
- Technical Evaluation
- Financial Evaluation

Tender Reference Number : E-Auction TN-11/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1113274_1

E-Auction/TN-11/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/day
Tender Title : on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km
22.930 to Km 65.570 in Meerut district:Lot-01

Bid Opening Date & Time : 14-Feb-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Refresh

Total No. of Bids : 0
Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical

Photo Copy Affidavit



सहायक अभियन्ता-द्वितीय

अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर

मेरठ

Back

108

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

6

पत्रांक:-389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-16.02.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या के आमंत्रित की गई निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.02.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई। उक्त ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	17-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	23-02-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	24-02-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांक :-389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-16.02.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मयाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मयाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपरिथत होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हाफुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

- ter Management
- ing Hierarchy Master
- ew Internal Documents
- ir Management
- ebar User
- ly Organisation Hierarchy
- ly Accounts
- der Management
- reate Tender / Tender List
- ublish Tender
- ublished Tenders
- eek Clarifications
- re-bid Meeting
- ownloaded Tenders
- ids Submitted Tenders

7

TENDER MANAGEMENT

Bids Submitted For Tenders

Search

Tender ID

Tender Title

Tender List		Bid Opening Date	No. of Valid Bids
S.No	Tender ID		
1.	2026_UPIDC_1113274_2	24-Feb-2026 12:00 PM	0
E-Auction/TN-11/EE/2025-26 E-Auction of/Removal of Excess silt/clay on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 65.570 in Meerut district. Lot-01/E-Auction TN-11/EE/2025-26			

Photo Copy Attested

W

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
 अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मुरादाबाद

110

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

8

पत्रांक:-473/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-27.02.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 263/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। जिसमें शून्य निविदा प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 389/अशाख/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 16.02.2026 द्वारा पुनः ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	28-02-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	05-03-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	06-03-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

27.2.2026
अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-473/अशाख/टी-11/ई-नीलामी/दिनांक:-27.02.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रमाणीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608/मु०अ०गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

27.2.2026
अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

D

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Master Management

Org Hierarchy, Master

view: Internal Documents

9

Bid Opening → Bid Openers

BID OPENING

Tender Reference Number : E-Auction TN-11/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1113274_3

Tender Title : on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 65.570 in Meerut district. Lot-01

Bid Opening Date & Time : 06-Mar-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers



vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0
Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical

Photo Copy Attached

Q

Bid Opening

Tenders to be Opened

Bid Evaluation

Technical Evaluation

Financial Evaluation

Back

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

112

अपरजिलाधिकारी (वि०रा०) / जिलाधिकारी महोदय जनपद मेरठ।

सेवा में,

सादर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 263/अ०शा०ख०/टी०-11/ई-नीलामी दिनांक 29.01.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सख्या 11/ई०ई०/2025-26 (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) के अर्तगत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थी, जिसकी प्रेस विज्ञापित का प्रकाशन दैनिक जागरण अखबार में हुआ (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन)। उक्त ई-नीलामी सूचना सख्या के आमन्त्रित की गई, निविदाओं हेतु डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 07.02.2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से दिनांक 13.02.2026 को अपराह्न 5 बजे तक थी। ई-नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल विड अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.02.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे खोली गई। उक्त ई-नीलामी सूचना सख्या 11/ई०ई० 2025-26 के अर्तगत आमन्त्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) पुनः ई-नीलामी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 389/अ०शा०ख०/टी-11/ई-नीलामी दिनांक 16.02.2026 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गई (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 17.02.2026 को पूर्वाह्न 10 बजे दिनांक 23.02.2026 को अपराह्न 05 बजे तक थी। उक्त नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल विड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे खोली गई, जिसमें पुनः शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) इस कार्यालय के पत्रांक 473/अ०शा०ख०/टी-11/ई नीलामी दिनांक 27.02.2026 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गई (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन) जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 28.02.2026 को पूर्वाह्न 10 बजे दिनांक 05.03.2026 को अपराह्न 05 बजे तक थी। उक्त नीलामी में प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/टेक्नीकल विड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 06.03.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे खोली गई, जिसमें तृतीय अवसर पर भी शून्य निविदा प्राप्त हुई है (छायाप्रति दांयी ओर सलंगन)। सज्ञान में आया है कि नहर पर पडी हुई सिल्ट/मिट्टी की कम-कम मात्रा में ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निविदाकार इच्छुक है।

अतः जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य सम्यन्धित रिच को पृथक-पृथक भागों में विभाजित कर अनूपशहर शाखा की दोनों पटरियों से सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी कराये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव की सहमति की दशा में अनुमोदन देना चाहें।

क्र० सं०	कि०मी० कहाँ से	कि०मी० कहाँ तक	उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर रु० में (घबल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल घबल्टी (रु० में)
1	22.930	38.800	16000.00	65.00	1040000.00
2	38.800	50.000	38800.00	65.00	2522000.00
3	50.000	65.570	47200.00	65.00	3068000.00
कुल उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी की मात्रा-			102000.00	कुल योग-	6630000.00

अधिशारी अभियन्ता अनूपशहर
शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ/हापुड।
16.3.2026

प्रमाणीय अधिकारी
मेरठ।
16.3.26

खनन अधिकारी
मेरठ।
16/03/2026

उपजिलाधिकारी
मवाना।
16.3.26

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)
मेरठ।
16/3/26

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

113

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

(11)

पत्रांक:- 624/अशाख/टी-11/ई-नीलामी

दिनांक:-23.03.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-11/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसको अपरिहार्य कारणों से प्रारम्भ से निरस्त करने के एतद्द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- 624/अशाख/टी-11/ई-नीलामी/दिनांक:-23.03.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रमाणीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मवाना/परीक्षितगढ़/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

12

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- /अशाख/टी-15/ई-नीलामी दिनांक:-
विषय:- अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या 15/ई0ई0/2025-26 का प्रकाशन।
महोदय,

अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना सं0 15/ई0ई0/2025-26 आपको 6 प्रतियों में सी0डी0 सहित इत्त आशय से प्रेषित है कि कृपया इस निविदा सूचना का प्रकाशन मेरठ तथा उसके आस-पास सबसे अधिक क्रय किये वाले हिन्दी के दो प्रमुख, समाचार पत्रों में केवल एक-एक बार तीन दिन के अन्तराल से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आपके पत्रांक 82/सू0 एवं ज0सं0वि0(विज्ञा)-924/2014 दिनांक 17.03.2015 के द्वारा यांचित दूरभाष नं0 कार्यालय 0121-2664976 एवं ई-मेल आई0डी eeabmr@gmail.com है। कृपया प्रकाशन संबंधी सूचना हिन्दी दूरभाष नम्बर व ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक:-620/अशाख/टी-15/ई-नीलामी दिनांक:-23-03-26

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कंप्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अल्पकालीन ऑनलाईन ई-निविदा की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित शासनादेश सं0 763/05/27-सी-3-8-टी0/84 दिनांक 03.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनमोहन सिंह)

अधिकासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :- /अशाख/टी-15/ई-नीलामी

दिनांक:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को ऑनलाईनर ई-नीलामी सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मयाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- थाना मयाना/परीक्षितगढ/किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिकासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मु0नगर खण्ड गंगा नहर मु0नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0-12608/मु0अ0गंगा/निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के संदर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिकासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

115

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(हव्)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभ्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एव0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गति समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह निविदाये अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 02.04.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर (रायल्टी प्रति घन मीटर में)	अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से सम्भावित मात्रा के आधार पर आकलित कुल रायल्टी (रु0 में)	निविदा के साथ ई0एम0डी0 के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि (रायल्टी का 10 प्रतिशत रु0 में)	जनपद का नाम
1	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 22.930 से कि0मी0 38.800 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	16000.00	65.00	1040000.00	104000.00	मेरठ
2	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 38.800 से कि0मी0 50.000 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	38800.00	65.00	2522000.00	252200.00	मेरठ
3	जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 50.000 से कि0मी0 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी।	47200.00	65.00	3068000.00	306800.00	मेरठ

नोट-यह ई-नीलामी सूचना संख्या 30प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) उपलब्ध है।

(मममोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

नियम व शर्तें:-

1. उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया में निविदाकारों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के आवेदक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
2. ई-निविदाकार का अपना पैनकार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करना होगा। जिन ई-निविदाकारों द्वारा मूल-अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड नहीं की जायेगी, उनकी ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ई-नीलामी कमेटी द्वारा ई-निविदाकारों के समक्ष ऑनलाईन ई-नीलामी खोली जायेगी। प्रति घन मीटर सर्वोच्च बोली के आधार पर ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
4. नहर से तालिका में उल्लिखित मापन के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नहर पर से अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी उखाई जायेगी। सिल्ट/मिट्टी उखाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की धनराशि अथवा पारितोषिक देय नहीं होगा।
5. नहर पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी हटाये/उखये जाने पर यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उच्चतम बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
6. सिल्ट/मिट्टी उखये जाने हेतु रायल्टी की दर रु0 65.00 प्रति घन मीटर आधार मानते हुये उच्च बोली का प्रस्ताव ई-निविदा पोर्टल पर देना होगा। सर्वोच्च बोली के आधार पर उक्त कार्य हेतु ई-निविदाकार का चयन किया जायेगा।
7. जनपद मेरठ अनूपशहर शाखा नहर के दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से सिल्ट/मिट्टी नहीं उखयी जायेगी, अन्य स्थल से सिल्ट/मिट्टी उखाने पर उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. नहर के दोनो बैंको पर से सिल्ट/मिट्टी उठाये जाने का कार्य सम्बन्धित रीच के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/जिलेदार की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव श्रम एवं राजस्थानी ट्रेक्टर द्वारा नहर को क्षतिग्रस्त किये बिना किया जायेगा।
9. चयनित ई-निविदाकार द्वारा ई-निविदा में उल्लिखित मात्रा की सिल्ट/मिट्टी उखया जाना अनिवार्य होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
10. उच्चतम बोली की धनराशि पर नियमानुसार 2.06 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत डी0एम0एफ एवं .02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।
11. माननीय न्यायालय/मा0 निर्वाचन आयोग, भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी समय उक्त कार्य की ई-नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
13. ई-नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन जनपद मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा किया जायेगा, जो समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. ई-नीलामी की अधिकतम बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम तथा जनपद मेरठ को देय होगी/जमा करनी होगी।
15. ई-नीलामी की अधिकतम बोली की धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर जो अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के नाम बन्धक होगी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जो ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय जमा होगी वह धनराशि एफ0डी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
16. ई-नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को शत-प्रतिशत धनराशि नीलामी की सिल्ट/मिट्टी उखाने से पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
17. सिल्ट/मिट्टी उखाने का कार्य अवधि 30 दिन होगी।
18. निविदा निर्धारित दर से प्रारम्भ होकर अधिकतम प्राप्त दर ही स्वीकार की जायेगी।
19. यदि नहर का सैक्शन/डौला/सर्विस रोड सिल्ट/मिट्टी उठाने समय क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको ठीक कराये जाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
20. नहर के सैक्शन को मॉटेन करने के उपरान्त ही अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी कार्य स्थल से उखयी जा सकेगी।
21. समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ई-नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त कार्यक्षेत्र का निरीक्षण एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति करना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा की उनके द्वारा कार्यक्षेत्र का निरीक्षण, सिल्ट/मिट्टी की मात्रा का निरीक्षण भलीभांति कर लिया गया है, एवं निविदादाता ने निरीक्षण के दौरान कार्य संपादन हेतु कार्य स्थल पर कोई अवरोध नहीं पाया है।

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

- ई-नीलामी की निविदा खुलने के उपरान्त कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, सिल्ट/मिट्टी के उखन कार्य के सम्बन्ध में एवं सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम बोलीदाता का कोई प्लेन मान्य नहीं होगा।
22. निविदानुसार नीलामी की जाने वाली सिल्ट/मिट्टी उखने का कार्य इंजीनियर इन्चार्ज की देख-रेख में किया जायेगा। निर्धारित समय के अतिरिक्त रात्रि/मध्य रात्रि में सिल्ट/मिट्टी उखई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. अनूपशहर शाखा नहर के उक्त लॉटों की रीच पर बैंको पर नहर किनारे होला बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु सुरक्षित रूप से निकाली जाने वाली सिल्ट/मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में) उक्त लॉटों के सम्मुख अंकित सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर सिल्ट/मिट्टी की मात्रा उपलब्ध है, जिसका उपयोग होला बनाने हेतु किया जाना है। उक्त लॉटों के सम्मुख अंकित सिल्ट/मिट्टी की मात्रा के अतिरिक्त कार्य स्थल पर अतिरिक्त उपलब्ध सिल्ट/मिट्टी को उच्चतम बोलीदाता द्वारा नहीं उठाया जायेगा।
24. बैंक ड्राफ्ट बनवाने का व्यय उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
25. नीलामी के माध्यम से उखई जाने वाली सिल्ट/मिट्टी का कार्य इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा कि अनूपशहर शाखा के दोनों ओर स्थित नहरी पट्टी, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भाग है, पर वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष अथवा पौधारोपण को क्षति होती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी तथा क्षतिपूर्ति/दायित्व की कार्यवाही नियमानुसार ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी।

(मममोहन सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।**

27.03.2028

अल्पकालीन ऑनलाईन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-2028

नियमों की मददवार एक निर्माण जाती है, जो नलोड की यदि किसी कार्य दिवस जायेगी।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 113/2019/718/19-27-सि0(डब्लू)/2019 दिनांक 02.04.2019, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अनुभ्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अ0शा0प0-1026/अनु0एय0मु0/अनिम0-5/सिनिक/सि0स0/दिनांक 18.12.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस खण्ड के कार्यक्षेत्र जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर का कि0मी0 22,930 से कि0मी0 65,570 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिट्ट/मिटटी की नीलामी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 08.04.2028 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो अधिशासी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2028 पूर्वानु 11.00 बजे खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अयकाश होने की दिशा में यह निविदायें अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। निविदा दिनांक 02.04.2028 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2028 को अपराह्न 05:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

प्रत्येक निविदादाता को ऑनलाईन ई-नीलामी की धरोहर धनराशि ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि ई-नीलामी की निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के पलाज में उल्लिखित शर्तों अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

पंजीयन की शर्तों

RTGS

घाणक्य

विवरण

in

0दि0

व्यव है।

खर्च का विवरण	दुर्गति रूप से प्रिन्टरी व्यय वाली सिट्ट/मिटटी की मात्रा (मन मीटर में)	अनुपरी के अनुहार विपरीत दर रू0 में (एकरी प्रति.घन मीटर में)	अनुपरी के अनुहार विपरीत दर से सम्बन्धित मात्रा के अन्तर्गत पर अन्वेषित कुल राश्वटी (रू0 में)	निविदा के रू0 #0एन0डी0 के रूप में प्रकाश की जाने वाली दन्वशी (एकरी रू0 10 प्रतिशत रू0 में)	विवरण का मन्
खण्ड मेरठ में अनुपशहर शाखा-नहर के कि0मी0 22,930 से कि0मी0 38,800 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिट्ट/मिटटी।	16000.00	65.00	1040000.00	104000.00	मेरठ
खण्ड मेरठ में अनुपशहर शाखा-नहर के कि0मी0 38,800 से कि0मी0 50,000 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिट्ट/मिटटी।	38800.00	65.00	2522000.00	252200.00	मेरठ
खण्ड मेरठ में अनुपशहर शाखा-नहर के कि0मी0 50,000 से कि0मी0 65,570 तक मध्य दोनों बैंकों पर अतिरिक्त सिट्ट/मिटटी।	47200.00	65.00	3068000.00	306800.00	मेरठ

नोट:-यह ई-नीलामी सूचना संख्या 15/ई0ई0/2025-2028 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई, विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.ldup.upgovt.in>) उपलब्ध है।

(गणगोहन सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

UP-249028 दिनांक 27.03.2028 विज्ञापन वेबसाइट www.upgovt.nic.in पर उपलब्ध है।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

BID OPENING

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_1

AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the middle banks of Anupshahar branch canal from Km 22.930 to Km 38.800 in Meerut district. Lot No-01

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 02:03 PM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers



vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Total No. of Bids : 0
Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/PreQual/Technical

Photo Copy Attached



(Handwritten mark)

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनुपशहर शाखा एण्ड गंगा नहर
मेरठ

- Master Management
 - Org Hierarchy Master
 - View Internal Documents
 - User Management
 - Debar User
 - My Organisation Hierarchy
 - My Accounts
 - Tender Management
 - Create Tender / Tender List
 - Publish Tender
 - Published Tenders
 - Seek Clarifications
 - Pre-bid Meeting
 - Downloaded Tenders
 - Bids Submitted Tenders
 - Tender Status
 - Archived Tenders
 - Archived Clarification
 - Corrigendum
 - Create Corrigendum
 - Publish Corrigendum
 - Published Corrigendum
 - Bid Opening
 - Tenders to be Opened
 - Bid Evaluation
 - Technical Evaluation
 - Financial Evaluation

119

Back

Master Management	
→	Org Hierarchy Master
→	View Internal Documents
User Management	
→	Debar User
→	My Organisation Hierarchy
→	My Accounts
Tender Management	
→	Create Tender / Tender List
→	Publish Tender
→	Published Tenders
→	Seek Clarifications
→	Pre-bid Meeting
→	Downloaded Tenders
→	Bids Submitted Tenders
→	Tender Status
→	Archived Tenders
→	Archived Clarification
Corrigendum	
→	Create Corrigendum
→	Publish Corrigendum
→	Published Corrigendum
Bid Opening	
→	Tenders to be Opened
Bid Evaluation	
→	Technical Evaluation
→	Financial Evaluation

BID OPENING

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_2

AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the banks
Tender Title : between Km 38.800 to Km 50.000 of Anupshahar Branch Canal in
Meerut district. Lot No-02

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH GHANDRA



Refresh

Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Photo Copy Attested
Fee/PreQual/Technical



शुभमक अभियन्ता-दिलीप
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Master Management
Org Hierarchy Master
View Internal Documents
User Management
Debar User
My Organisation Hierarchy
My Accounts
Tender Management
Create Tender / Tender List
Publish Tender
Published Tenders
Seek Clarifications
Pre-bid Meeting
Downloaded Tenders
Bids Submitted Tenders
Tender Status
Archived Tenders
Archived Clarification
Corrigendum
Create Corrigendum
Publish Corrigendum
Published Corrigendum
Bid Opening
Tenders to be Opened
Bid Evaluation
Technical Evaluation
Financial Evaluation

BID OPENING

16

Bid Opening → Bid Openers

Tender Reference Number : E-Auction TN-15/EE/2025-26

Tender ID : 2026_UPIDC_1132062_3

Tender Title : AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the banks between Km 50.000 to Km 65.570 of Anupshahar Branch Canal in Meerut district. Lot No-03

Bid Opening Date & Time : 09-Apr-2026 11:00 AM

Bid Opener Type : 2 Of 3 (Minimum 2 bid openers should decrypt)

Bid Openers

vikas kumar



Man Mohan Singh



SUBHASH CHANDRA



Refresh

Total No. of Bids : 0

Total No. of Withdrawn Bids : 0

Bid Packets

Fee/Prequal/Technical

Photo Copy Attached



सहायक अभियन्ता-द्वितीय

अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Back

122

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

(17)

पत्रांक:-709/अशाख/टी-15/ई-नीलामी

दिनांक:-09.04.2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

पुनः ई-नीलामी आमंत्रण पत्र।

इस कार्यालय के पत्रांक 620/अशाख/टी-15/ई-नीलामी दिनांक 23.03.2026 के द्वारा अल्पकालीन ई-नीलामी सूचना संख्या-15/ई0ई0/2025-26 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 तक मध्य दोनो बैंको पर अतिरिक्त सिल्ट/मिट्टी की ई-नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयीं थी, जिसकी डाउनलोडिंग/अपलोडिंग की दिनांक 02.04.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 08.04.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक थी। उक्त ई-नीलामी सूचना के अन्तर्गत लॉट पर प्राप्त निविदाओं की प्री-क्वालीफिकेशन/ टेक्नीकल बिड अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2026 की पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली गई, जिसमें लॉट सं०-01, 02, व लॉट सं०-03 के अन्तर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं के सापेक्ष शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई-नीलामी हेतु उक्त लॉट संख्याओं पर निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

S.N	Particulars	Date	Time	Work Days
1	Uploading/Downlodng Start	10-04-2026	10:00 AM	30-Days
2	Uploading/Downlodng End	16-04-2026	05:00 PM	
3	Technical Bid Opening	17-04-2026	11:00 AM	
4	Financial Bid Opening	Date will be Decided after Technical bid evaluation and will be communicated online to successful bidders in Technical bid.		

शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

पत्रांक :-709 / अशाख / टी-15 / ई-नीलामी / दिनांक:-09.04.2026

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० मेरठ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
 - 3- जिलाधिकारी, मेरठ।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद मेरठ।
 - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
 - 6- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
 - 7- उपजिलाधिकारी तहसील मवाना जनपद मेरठ।
 - 8- पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ।
 - 9- प्रमाणीय वनाधिकारी मेरठ।
 - 10- धाना मवाना / परीक्षितगड़ / किठौर जनपद मेरठ।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
 - 12- जिला खनन अधिकारी, जनपद मेरठ।
 - 13- अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ / मु०नगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं०-12608 / मु०अ०गंगा / निविदा समिति, दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में कृपया निर्धारित तिथि व समय पर निविदा खोलने हेतु उपरिथत होने का कष्ट करें।
 - 14- सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ, हापुड़ एवं बुलन्दशहर।
 - 15- नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

Micro Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Master Management

- Org Hierarchy Master
- View Internal Documents

User Management

- Debar User
- My Organisation Hierarchy
- My Accounts

Tender Management

- Create Tender / Tender List
- Publish Tender
- Published Tenders
- Seek Clarifications
- Pre-bid Meeting
- Downloaded Tenders

- Bids Submitted Tenders
- Tender Status
- Archived Tenders
- Archived Clarification
- Corrigendum
- Create Corrigendum
- Publish Corrigendum
- Published Corrigendum
- Bid Opening
- Tenders to be Opened
- Bid Evaluation
- Technical Evaluation
- Financial Evaluation

TENDER MANAGEMENT

Bids Submitted for Tenders

18-19

Search Tender ID Tender Title

Clear

Search

The latest 20 tenders are displayed below. Click on search with required details for listing specific tenders.

Tender List

S.No	Tender ID	Tender Title/Tender Ref No.	Bid Opening Date	No. of Valid Bids
------	-----------	-----------------------------	------------------	-------------------

1.	2026_UPIDC_1117934_23	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 85.436 to Km 87.290 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-06/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	1
2.	2026_UPIDC_1117934_22	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 81.281 to Km 85.436 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-05/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
3.	2026_UPIDC_1117934_21	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 77.969 to Km 81.281 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-04/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
4.	2026_UPIDC_1117934_20	E-Auction/TN-13/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 65.570 to Km 69.425 of Anupshahr branch canal in Garh tehsil of Hapur district Lot-01/E-Auction TN-13/EE/2025-26	07-May-2026 11:00 AM	0
5.	2026_UPIDC_1132062_4	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the middle banks of Anupshahr branch canal from Km 22.930 to Km 38.800 in Meerut district. Lot No-01/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
6.	2026_UPIDC_1132062_6	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the banks between Km 50.000 to Km 65.570 of Anupshahr Branch Canal in Meerut district. Lot No-03/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
7.	2026_UPIDC_1132062_5	AUCTION/TN-15/EE/2025-26 Excess silt/day on both the banks between Km 38.800 to Km 50.000 of Anupshahr Branch Canal in Meerut district. Lot No-02/E-Auction TN-15/EE/2025-26	17-Apr-2026 11:00 AM	0
8.	2026_UPIDC_1125864_15	AUCTION/TN-14/EE/2025-26 Excess silt/soil lying on both the banks between Km 114.575 to Km 120.670 of Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of Bulandshahr district. Lot No-04/E-Auction TN-14/EE	16-Apr-2026 11:00 AM	0

Photo Copy Available

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
Anupshahr Branch Canal in Anupshahr Tehsil of
Bulandshahr district. Lot No-04/E-Auction TN-14/EE

अनुपशहर शाखा खासद गांव 2025-26
थरद

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या-1/1227112/2026(177187)

50

प्रेषक,

अशोक कुमार सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 04-02-2026
विषय: "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1/1225960/2026, दिनांक 04.02.2026 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके उपयोगार्थ प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by
ASHOK KUMAR SAROJ
Date: 04-02-2026
18:03:45
(अशोक कुमार सरोज)
अनु सचिव।

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1

संख्या:I./1225960/2026

लखनऊ, दिनांक 04.02.2026

अधिसूचना

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:-
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

- संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही और प्रारम्भ जायेगी।
- (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- प्रथम अनुसूची 2- उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया का संशोधन है) में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम-21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्रम संख्या	खनिज	स्वामित्व की दर
1-	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रतिटन या रु० 275.00 प्रति घनमीटर	1-	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु 206.00 प्रतिटन या रु 405.00 प्रति घनमीटर	2-	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु 206.00 प्रतिटन या रु 405.00 प्रति घनमीटर
3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य	3-	ईट बनाने की मिट्टी	शून्य
4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4-	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेशनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के घनमीटर	रु 5000.00 प्रति घनमीटर		(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु 6000.00 प्रति घनमीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के घनमीटर	रु 3000.00 प्रति घनमीटर		(ख) एक मीटर के नीचे के साइज के	रु 4000.00 प्रति घनमीटर
(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु 650.00 प्रति घनमीटर	(ii)	स्लैब्स और अक्षर सहित साइज्ड डायमेशनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु 850.00 प्रति घनमीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु 600.00 प्रति घनमीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु 600.00 प्रति घनमीटर

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

(iv)	खण्डास और वोल्डर		(iv)	खण्डास और वोल्डर	
	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	₹0 125.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm×25cm×25cm) से मी0 तक साइज्ड का	₹0 125.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैंड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm× 25cm) तक साइज्ड का	₹0 100.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैंड स्टोन और क्वार्टजाईट (25cm×25cm×25cm) सेमी0 तक साइज्ड का	₹0 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v)	बैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	₹0 160.00 प्रति घनमीटर		(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	₹0 165.00 प्रति घनमीटर
	(ख) सैंड स्टोन और क्वार्टजाईट	₹0 110.00 प्रति घनमीटर		(ख) सैंड स्टोन और क्वार्टजाईट	₹0 140.00 प्रति घनमीटर
	(ग) स्टोन डस्ट	₹0 100.00 प्रति घनमीटर		(ग) स्टोन डस्ट	₹0 100.00 प्रति घनमीटर
5	मौरम		5	मौरम	
	(क) नदी तल में उत्पन्न	₹0 150.00 प्रति घनमीटर		(क) नदी तल में उत्पन्न	₹0 190.00 प्रति घनमीटर
	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न ताल मौरम	₹0 75.00 प्रति घनमीटर		(ख) पहाड़ों के क्षरण के कारण उत्पन्न ताल मौरम	₹0 100.00 प्रति घनमीटर

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 65.00 प्रति घनमीटर		(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 80.00 प्रति घनमीटर
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची- दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 55.00 प्रति घनमीटर		(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	₹ 70.00 प्रति घनमीटर
7	बजरी (सिंगिल)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर	7	(i) बजरी (सिंगिल) (ii) बालू/बजरी/बोल्डर मिश्रित अवस्था में (आर0बी0एम0)	₹ 110.00 प्रति घनमीटर ₹ 160.00 प्रति घनमीटर
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9	पायरोफिलाइट	₹ 300.00 प्रति टन	9	पायरोफिलाइट	₹ 340.00 प्रति टन
10	डायस्पोर	₹ 500.00 प्रति टन	10	डायस्पोर	₹ 525.00 प्रति टन

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

11	सिलिका सैण्ड	रु0 100.00 प्रति टन	11	सिलिका सैण्ड	रु0 150.00 प्रति टन
12	चाइता क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12	चाइता क्ले	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13	कैलसाइट	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रु0 100.00 प्रति टन	14	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
15	कोई अत्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15	कोई अत्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 10 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के का स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्: - संशोधन

स्तम्भ-1 वियमान अनुसूची द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
क्र० सं०	उपखनिजों के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	क्र० सं०	खनिज	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
भैरठ

1	माबल और माबल चिप्स	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 40000.00	1	माबल, माबल चिप्स (संगमरम र)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु0 60000.00
2	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु040000. 00	2	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
3				3	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		
	(क) सेण्डस्टो न एवं क्वार्टजाइ ट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 65000.00		(क) सेण्डस्टो न एवं क्वार्टजाइ ट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 97500.00
	(ख) गेनाईट, डोलोस्टो न	झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 120000.0 0		(ख) गेनाईट, डोलोस्टो न	झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 180000.0 0
4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	विजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	(बोल्डर) रु0 90000.00 (बजरी) रु0 90000.00 (साधारण बालू)	4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण	विजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 135000.0 0 (बोल्डर) रु0 135000.0 0 (बजरी) रु0 60000.00

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
भरत

	वाल् जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मितते हैं।	रु0 40000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग अलग दर लगेगी।		वाल् जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मितते हैं।	(साधारण वाल्) प्रत्येक खनिज पर पृथक दर प्रभारित होगी।
5	मौरम- (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोवा, झांसी, वांदा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों	रु0 90000.00	5 मौरम (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोवा, झांसी, वांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों।
	(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मौरम	रु0 24000.00	(पहाड़ों के क्षरण के कारण जमा लाल मौरम	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो	रु0 36000.00
6	साधारण वाल् (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, वागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर, आजमगढ़,	रु0 50000.00	6 साधारण वाल् (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज (यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, वागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संतरविदास नगर,

True Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपराहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

		कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सन्मल, अनरोहा, कानपुर देहात			आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड, कासगंज, सन्मल, अनरोहा, कानपुर देहात		
7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशान्दी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 30000.00	7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशान्दी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 45000.00

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर गाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 10000.00	8	साधारण मृदा (आरडिन री क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिन री अर्थ)	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 15000.00
9	पायरोफि लाइट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाइट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 20000.00	9	पायरोफि लाइट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाइट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 30000.00

आज्ञा से,
Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
(माया श्रीवास्तव)
11:49:26
सचिव।

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अभूमशाह शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

Uttar Pradesh Shasan
Bhootatva Evam Khanikaram Anubhag-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1225960/2026 dated 04.02.2026

Notification

No. I/1225960/2026

Lucknow; Dated: 04.02.2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, namely:-

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of First Schedule 2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the "said rules") for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty	Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3	1	2	3

Photo Copy Attested

(Signature)

सहायक अगियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter	1	Omitted	Omitted
2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter	2.	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3.	Brick earth	Nil	3.	Brick earth	Nil
4.	Building Stone		4.	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)		(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter		(a) 1 meter or above size	Rs. 6000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs. 3000.00 per cubic meter		(b) below 1 meter size	Rs. 4000.00 per cubic meter
(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic meter	(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 850.00 per cubic meter
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter	(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
(iv)	Khandas and Boulders		(iv)	Khandas and Boulders	
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm25cm25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic		(b) Sand stone and Quartzite sized up to	Rs. 100.00 per cubic

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

25cm25cm25cm	meter	25cm25cm25cm	meter
(v) Ballast (Gitti)		(v) Ballast (Gitti)	
(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic meter	(a) Granite and Dolostone	Rs. 165.00 per cubic meter
(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic meter	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 140.00 per cubic meter
(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter
5. Morrum		5. Morrum	
(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic meter	(a) available in the river bed	Rs. 190.00 per cubic meter
(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic meter	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 100.00 per cubic meter
6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6. Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic meter	(a) First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 80.00 per cubic meter
(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic meter	(b) Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 70.00 per cubic meter
7. Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter	7. (i) Bajri (Single) (ii) Sand/ Bajri/ Boulder in mixed state (R.B.M.)	Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 160.00 per cubic meter
8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil	8. Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9. Pyrophyllite	Rs. 300.00 per tonne	9. Pyrophyllite	Rs. 340.00 per tonne

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

10.	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne	10.	Diaspore	Rs. 525.00 per tonne
11.	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne	11.	Silica Sand	Rs. 150.00 per tonne
12.	China Clay	12% of Pit mouth value	12.	China Clay	12% of Pit mouth value
13.	Calcite	12% of Pit mouth value	13.	Calcite	12% of Pit mouth value
14.	Quartz	Rs. 100 per tonne	14.	Omitted	Omitted
15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value	15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value

Amendment of 3. In the said rules, for the Second Schedule set out in Column-I
Second below, the Schedule as set out in Column-II shall be substituted,
Schedule namely:-

COLUMN-I (Existing Schedule)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted)			
Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				Second Schedule - Rate of Dead Rent (See rule-22)			
Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum	Sl. No.	Minerals	Name of Districts/River	Rate of Dead Rent per acre per annum
1.	Marble and Marble Chips	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 40,000.00	1.	Marble, Marble Chips (Sangmermer)	Sonebhadra and other district if any.	Rs. 60,000.00
2.	Limestone	Sonebhadra and	Rs. 40,000.00	2.	Omitted	Omitted	Omitted

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

		other district if any.				
3.	Building Stone			3.	Building Stone	
(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 65,000.00	(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any
(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts If any	Rs. 1,20,000.00	(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any
4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 90,000.00 (Boulder) Rs. 90,000.00 (Bajri) Rs. 40,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.	4.	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed.	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any
						Rs. 1,35,000.00 (Boulder) Rs. 1,35,000.00 (Bajri) Rs. 60,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
भेनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
भेरठ

5.	Morrum			5.	Morrum	
(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur. Sonbhadra and other districts If any	Rs. 90,000.00	(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur. Sonbhadra and other districts if any
(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.	Rs. 24,000.00	(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available.
6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya,	Rs. 50,000.00	6.	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam buddh nagar Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya.
						Rs. 75,000.00
						Rs.36,000.00

Photo Copy Attested

Q

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

		Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabr nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrach, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,			Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabr nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrach, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha,		
7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Allgarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 30,000.00	7.	Ordinary sand Category-II	Kanpur Dehat Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Allgarh, Hardoi, Raebareliy, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga),	Rs. 45,000.00

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
भरत

		Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri Amethi			Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri Amethi		
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 10,000.00	8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available.	Rs. 15,000.00
9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 20,000.00	9.	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available.	Rs. 30,000.00

By order,


Digitally signed by
MALA SRIVASTAVA
Date: 01-02-2026
11:51:22
Secretary.

Photo Copy Attested



सहायक अभियन्ता-द्वितीय
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

जनपद मेरठ के अन्तर्गत ¹⁴²अनूपशहर शाखा नहर के कि०मी० 22.930 से कि०मी० 65.570 के मध्य किये गये निरीक्षण के फोटोग्राफ ।




A.E. [Signature]
UP Pollution Control Board
Meerut

(बनेमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ


[Signature]
34 फिल्ड ऑफिसर
मेरठ

143




 A.E.E.
 UP Pollution Control Board
 Meerut


 (मनमोहन सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अनुपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
 मेरठ


 उपनिर्देशाधिकारी
 भवना, मेरठ

144



[Handwritten Signature]

A.E.E.
UP Pollution Control Board
Meerut

[Handwritten Signature]

(मनमोहन सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

[Handwritten Signature]

अपिलाधिकारी
भगना, मेरठ



(निरीक्षण के समय गठित समिति द्वारा वादी संदीप नागर से की जा रही वार्ता का फोटोग्राफ)।